भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2701** जिसका उत्तर

मंगलवार, **21** दिसंबर, 2021 (30 **अग्रहायण**, 1943 (शक)) को दिया जाना है

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

2701. श्री नीरज डांगी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1) के लिए बजटीय आवंटन और इस पर खर्च की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईडब्ल्यूएआई द्वारा शुरू की गई जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) नामक एक प्रमुख परियोजना ने गंगा नदी के तटों पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में जलमार्गों को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) पर बजटीय आबंटन एवं व्यय की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु.में)

क्रम सं.	बचट शीर्ष/ जलमार्ग	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 नवंबर-21 तक	
	रा.ज.-1 पर आबंटित राशि (आरई) एवं व्यय	आर.ई.	व्यय.	आर.ई.	व्यय.	आर.ई.	व्यय.	आर.ई.	व्यय.
1	रा.ज.-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली	110.57	211.09	90.66	155.10	62.00	61.68	75.83	41.36

	नदी प्रणाली) पर प्रचालन और रखरखाव								
2	रा.ज.-1 पर जलमार्ग विकास परियोजना	420.54	430.92	230.00	461.82	261.50	214.05	295.00	78.82
	कुल	**531.11**	**642.01***	**320.66**	**616.92***	**323.50**	**275.73**	**370.83**	**120.18**

*** वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान जुटाए गए बाहरी बजटीय संसाधनों (ईबीआर) से पूरा किया गया अतिरिक्त व्यय**

(ख) से (घ): जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का उद्देश्य हल्दिया-वाराणसी से रा.ज.-1 का संवर्धन करना है। परियोजना के विजन में घटी हुई लॉजिस्टिक्स लागत के साथ कार्गो के परिवहन के लिए वैकल्पिक लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करना तथा परिष्कृत आपूर्ति श्रृंखला दक्षता का प्रावधान किया जाना शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य व्यापार कुशलता को सुधारने तथा स्थानीय जनता, स्थानीय व्यापारी, मत्स्यन समुदाय के लिए जीविका एवं कमाई को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना, नये वाणिज्यिक संस्थानों, उद्योगों और एमएसएमई आदि को स्थापित करने हेतु रा.ज.-1 के साथ कार्गो के निर्बाध आवागमन के लिए आईडब्ल्यूटी संपर्कता द्वारा रा.ज.-1 की पश्चभूमि को लाभ पहुंचाना भी है। जेएमवीपी के कार्यान्वयन से आईडब्ल्यूटी के साथ विभिन्न परिवहन के साधनों के एकीकरण हेतु विचार उत्पन्न होते हैं तथा यह क्षेत्र की बढ़ती हुई आर्थिक वृद्धि के साथ मल्टी -मॉडल परिवहन प्रणाली को बढ़ाता है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित करने और अपनी पश्चभूमियों के आस-पास अप्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधियों को गति देने की क्षमता है। किसानों, मछुआरों, व्यापारियों और गंगा बेल्ट के आस-पास रहने वाले लोगों के आर्थिक हित के लिए 62 सामुदायिक जेट्टियों की स्थापना हेतु 150 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(ङ): देश में जलमार्गों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

देश में जलमार्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा

देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016, जो 12 अप्रैल, 2016 को प्रभावी हुआ, के तहत 111 जलमार्गों (मौजूदा 5 और 106 नए सहित) को राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्गों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के परिणामों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के आधार पर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा 25 रा.ज. को कार्गो/ यात्री आवागमन के लिए व्यवहार्य पाया गया है। 13 रा.ज. पर विकास कार्य शुरू किए गए हैं। 25 रा.ज. की सूची नीचे दी गई है:-

कार्गो आवागमन के लिए व्यावहारिक पाए गए 25 राष्ट्रीय जलमार्गों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग सं.	जलमार्गों का ब्यौरा	राज्य	स्थिति
1.	राष्ट्रीय जलमार्ग 1	गंगा -भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया - इलाहाबाद)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक **जलमार्ग विकास परियोजना** की सहायता से विकासात्मक कार्य किए गए
2.	राष्ट्रीय जलमार्ग 2	ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सादिया)	असम	वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए स्वीकृत किए गए एसएफसी के अनुसार किए गए विकास कार्य
3.	राष्ट्रीय जलमार्ग 16	बराक नदी	असम	
4.	राष्ट्रीय जलमार्ग 3	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम), चंपाकरा एवं उद्योगमंडल नहर	केरल	अधिकांशत: प्रचालनात्मक जलमार्ग तथा विकास एवं रखरखाव संबंधी कार्य किए गए।
5.	राष्ट्रीय जलमार्ग 4	कृष्णा नदी (विजवाड़ा-मुक्तयला)	आंध्र प्रदेश	
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग 5	मंगलागढ़ी से पानकोपल से होते हुए धमरा-पराडियो	ओडिशा	
7.	राष्ट्रीय जलमार्ग 8	अलाप्पुझा -चंगनसरी नहर	केरल	
8.	राष्ट्रीय जलमार्ग 9	अलाप्पुझा -कोट्टायम -	केरल वैकल्पिक	

		अथिरमपुजा नहर	मार्ग: 11.5 कि.मी.	
9.	राष्ट्रीय जलमार्ग 27	कंबरजुआ नदी	गोवा	
10.	राष्ट्रीय जलमार्ग 68	माण्डवी नदी	गोवा	
11.	राष्ट्रीय जलमार्ग 86	रूपन्नारायण नदी	पश्चिम बंगाल	
12.	राष्ट्रीय जलमार्ग 97	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल	
13.	राष्ट्रीय जलमार्ग 111	ज़ुआरी नदी	गोवा	
14.	राष्ट्रीय जलमार्ग 10	अंबा नदी	महाराष्ट्र	परियोजनाएं मूल्यांकन स्तर पर
15.	राष्ट्रीय जलमार्ग 40	घाघरा नदी	बिहार	
16.	राष्ट्रीय जलमार्ग 44	इच्छामती नदी	पश्चिम बंगाल	
17.	राष्ट्रीय जलमार्ग 52	काली नदी	कर्नाटक	
18.	राष्ट्रीय जलमार्ग 57	कोपिली नदी	असम	
19.	राष्ट्रीय जलमार्ग 25	चपौरा नदी	गोवा	
20.	राष्ट्रीय जलमार्ग 37	गंडक नदी	बिहार	
21.	राष्ट्रीय जलमार्ग 28	दभोल क्रीक वशिष्टी नदी	महाराष्ट्र	संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड के तहत अधिकतर मात्रा में कार्गो का आवागमन ज्वारीय जल/नदी के मुहाने में होता है। फिलहाल आईडब्ल्यूएआई द्वारा किन्हीं मध्यवर्ती कार्यों पर विचार नहीं किया गया है।
22.	राष्ट्रीय जलमार्ग 73	नर्मदा नदी	महाराष्ट्र और गुजरात	
23.	राष्ट्रीय जलमार्ग 85	रेवदंडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली	महाराष्ट्र	
24.	राष्ट्रीय जलमार्ग 94	सोन नदी	बिहार	
25.	राष्ट्रीय जलमार्ग 100	तापी नदी	महाराष्ट्र और गुजरात	

बेहतर और किफायती जल परिवहन के लिए उठाए गए कदम

1. **ईज-ऑफ-डूईंग बिजनेस हेतु डिजिटल समाधान**

- **कार-डी (कार्गो डाटा) पोर्टल:** कार-डी, हितधारकों हेतु राष्ट्रीय जलमार्गों के सभी कार्गो और क्रूज आवागमन डाटा को एकत्रित करने एवं संग्रहीत करने, इसके विश्लेषण और प्रसार हेतु एक वेब आधारित पोर्टल है।
- **पानी (परिसंपत्ति एवं नौचालन सूचना हेतु पोर्टल) :** पानी एक समेकित समाधान है, जोकि नदी नौचालन और अवसंरचना सूचना को एकल प्लेटफार्म पर उपस्थित करता है। यह राष्ट्रीय जलमार्गों और परिसंपत्तियों की विभिन्न विशेषताओं, जैसे फेयरवे, अवसंरचना सुविधाओं, नदी के ऊपर बनी संरचनाओं, जेट्टियों पर संपर्कता, कार्गो के परिवहन को सुगम बनाने के लिए आपात सुविधाओं आदि के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करता है।

ये समाधान विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग में वृद्धि करते हैं, संगठनात्मक स्थिरता में सुधार करते हैं, संसाधनों का बेहतर उपयोग, प्रत्येक हितधारक के लिए स्वामित्व और उत्तरदायित्व को बढ़ाते हैं, परिणामस्वरूप गतिविधियों के प्रबंधन में सुधार होता है। इस क्षेत्र के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रमुख कार्यों की पहुंच जनता तक होने से बाजार में आईडब्ल्यूएआई की स्थिति में सुधार होगा और साथ ही इस क्षेत्र में विश्वास में बढ़ोत्तरी होगी।

2. राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात की वृद्धि के लिए अन्य पहलें

1. शुल्क की उगाही और संग्रह में संशोधन : अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के एक पूरक माध्यम के रूप में बढ़ावा देने संबंधी भारत सरकार के विजन को आगे बढ़ाते हुए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू में तीन वर्षों की अवधि के लिए जलमार्ग प्रयोक्ता प्रभारों में छूट देने पर विचार किया है।

2. आईडब्ल्यूटी माध्यम का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि :

क. पीआईडब्ल्यूटीएंडटी के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के नए प्रवेश पत्तनों और मार्गों को जोड़ा जाना : भारत और बांग्लादेश के बीच पीआईडब्ल्यूटीएंडटी के अंतर्गत जलमार्गों को जोड़े जाने/विस्तारित करने के साथ ही दोनों तरफ 7 नए प्रवेश पत्तनों को जोड़े जाने की सहमति के साथ, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार के लिए आईडब्ल्यूटी माध्यम की पहुंच में बढ़ोतरी होने और परिणामस्वरूप रा.ज में यातायात में वृद्धि होने की उम्मीद है।

ख. भारत-नेपाल व्यापार संधि में आईडब्ल्यूटी माध्यम को शामिल करना : भारत और नेपाल के बीच व्यापार संधि में अंतर्देशीय जलमार्ग माध्यम को शामिल करने पर सहमति हुई है। इससे नेपाल को जाने वाले कार्गो (कोलकाता पत्तन के माध्यम से तीसरे देश से आने वाले और भारत के निर्यातों) को साहिबगंज एमएमटी (झारखंड), पटना (बिहार) के निकट प्रस्तावित कालूघाट टर्मिनल तथा वाराणसी एमएमटी (यूपी) तक जलमार्ग का उपयोग करने और आगे सड़क मार्ग से नेपाल तक आवागमन की अनुमति मिलेगी।

ग. भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार : जलमार्गों के माध्यम से होने वाले लाभों जैसे, कम परिवहन लागत, सड़क की तुलना में बड़े आकार के शिपमेंट, भू-मार्गों में भीड़-भाड़ से बचने आदि पर विचार करते हुए भूटान से स्टोन निर्यातकों द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन

को परिवहन के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में चिन्हित किया गया है। आईडब्ल्यूएआई के पर्यवेक्षण के अंतर्गत पहले आवागमन को जुलाई, 2019 में सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया था। आईडब्ल्यूटी माध्यम का उपयोग करते हुए यह व्यापार लगातार चलते रहने और आगामी वर्षों में एक बड़ी मात्रा तक पहुंचने की संभावना है।

3. हितधारकों हेतु अंतर्देशीय जल परिवहन को सुविधाजनक बनाने और राष्ट्रीय जलमार्गों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां (एसओपी)

विभिन्न जलमार्गों के लिए आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट में उपलब्ध कराई गई मानक प्रचालन पद्धतियां (एसओपी) की सूची नीचे दी गई हैं:

i. भारत तक और भारत से सामान के आवागमन के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पत्तनों के उपयोग के लिए बांग्लादेश गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौते की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

ii. बांग्लादेश गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच तटीय तथा प्रोटोकाल मार्ग पर यात्री एवं क्रूज सेवाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

iii. बांग्लादेश गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं ट्रांजिट कार्गो के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

iv. कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार (पीआईडब्ल्यूटीएंडटी) पर प्रोटोकॉल पर जलयानों के आवागमन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

v. राष्ट्रीय जलमार्गों पर रो-रो/रो-पैक्स जलयान प्रचालनों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) और चेकलिस्ट।

vi. कार-डी पोर्टल के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

4. विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों पर रो-रो/रो-पैक्स सेवा शुरू हुई

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी, 2021 के दौरान निम्नलिखित मार्गों के लिए रो-रो/रो-पैक्स जलयानों के प्रचालन का उदघाटन किया गया :

1. नेमाती और कमलाबारी (माजुली) (असम),
2. गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी (असम),
3. धुबरी और फकीरगंज (यू/एस हथसिंगीमारी) (असम) और
4. वेलिंग्डन आईसलैंड और बोलघाटी (केरल)

*****